राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 230/2014.. जिला : बीकानेर......
मैसर्स नगद नारायण मार्केटिंग बीछवाल इण्ड.बीकानेर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट– प्रथम, नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.03.2014	**एकलपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री ओ.पी.दोसाया,अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी''कहा जायेगा) के द्वारा पारित स्थगनादेश दिनांक 31.10.2013, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरूद्व अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट– प्रथम, नागौर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24.05.2013 में कायम की गयी मांग राशि 1,66,943/–में से 1,64,287/–की वसूली पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए उक्त मांग की वसूली स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 01.05.2013 को की गई ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन संख्या आरजे–07–जीए–8864 को बीकानेर से अजमेर जाते हुए बीकानेर बाईपास पर चैक किया गया। वक्त चेंकिंग वाहन में बिस्किट,चॉकलेट,टॉफियां परिवहनित किया जाना पाया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल से सम्बन्धित दस्तोवज मांगे जाने पर बिल्स पेश किये गये। व़ाहन की तलाशी लेने पर दो एस्टीमेट स्लिप पाई गई,जिन पर अजमेर ट्रक सख्या .8864 दिनांक 01.05.2013 अंकित है एवं माल की क्वानटिटी, पर्टीकुलर एंव रेट आदि लिखी है तथा जिस पर 5 प्रतिशत की दर से वैट प्रभारित किया हुआ है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करापवचंन की नियत से बिना विधिक दस्तावेजों एवं माल की गलत घोषणा कर माल का विवरण एवं कीमत अंकित करते हुए आदेश दिनांक 24.05.2013 पारित कर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित कर दी। उक्त शास्ति के विरूद्व अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा द्वारा आवेदित स्थगन राशि रू. 1,64,287/– को स्थगित नहीं करने का आदेश दिनांक 31.10.2013 पारित किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त स्थगनादेश के विरूद्व यह अपील मय स्टे आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। उभय पक्षीय की बहस सुनी तथा अपीलीय अधिकारी ,एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी. द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु नोटिस पेशी दिनांक 17.10.2013 के लिए जारी किया गया, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त तारीख स्थगित करने का प्रार्थना पत्र दिये जाने पर पुनः दिनांक 23.10.2013 एवं 31.10.2013 की नियत की गई, परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा पुनः सुनवाई स्थगिन करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उचित समय दिये जाने का निवेदन किया गया,जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया। दोनों अधर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन एवं उभय पक्षीय तर्को पर	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : . 230 / 2014.. जिला : बीकानेर......
मैसर्स नगद नारायण मार्केटिंग बीछवाल इण्ड.बीकानेर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट– प्रथम, नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.03.2014	विचार करने के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलार्थी को बिना सुने ही स्थगनादेश दिनांक 31.10.2013 पारित किया गया,जो नैसगिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है, अत:प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2013 में सृजित वसूली योग्य राशि रू. 1,64,2013 / –पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, के लिए रोक लगायी जाती है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वत: ही निष्प्रभावी समझा जावेगा । अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश की तिथि से आगामी 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है । निर्णय सुनाया गया । (सुनील शर्मा) सदस्य	